



वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2019–20



मात्स्यिकी निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई। इससे पूर्व वन विभाग का एक विंग मत्स्य विभाग के कार्य की देख-रेख कर रहा था तत्पश्चात प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करके विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों में जाती है और इन नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है।

राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती हैं। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वाकांक्षी इण्डो-नौरविजियन ट्राउट फार्मिंग परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, कोलडैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई हैं। प्रदेश में निम्नलिखित जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया :-



शीत जल : ट्राऊट जल 600 कि०मी०



सामान्य जल : 2400 कि०मी०



जलाशय जल स्रोत : 43785 हैक्टेयर



तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र : 845.33 हैक्टेयर



ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब : 617 हैक्टेयर

2

विभाग का संरचनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य (विभागाध्यक्ष) के अतिरिक्त 2 उप-निदेशक मत्स्य, 08 सहायक निदेशक मत्स्य, 7 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, 02 सांख्यिकी सहायक व 20 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान श्री वीरेन्द्र कंवर, माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य पालन मन्त्री के रूप में, श्री संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्य) के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा श्री सतपाल मैहता, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य कार्यरत रहे। निदेशालय स्तर पर श्री महेश कुमार, उप-निदेशक मुख्यालय, श्रीमति चंचल ठाकुर

कार्यकारी सहायक निदेशक मत्स्य-20 सूत्रीय कार्यक्रम, श्री विशाल गुप्ता व श्री अशोक कुमार सांख्यिकी सहायक मुख्यालय, समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहे। केवल जिला हमीरपुर एवं किन्नौर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, तथा जिला लाहौल व स्पिति में विभाग का कोई अधिकारी तैनात न होने के कारण यह कार्य लाहौल में वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा पांगी एवं स्पिति में सहायक निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया।

वर्ष 2019-20 में उपलब्ध विभागीय संरचना

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री वीरेन्द्र कंवर	माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्यपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
2.	श्री संजय गुप्ता	अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
3.	श्री सतपाल मैहता	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
4.	श्री महेश कुमार	उप-निदेशक मत्स्य (मु०), मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हि०प्र०।
5.	श्री सुशील जनार्थ	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल, जिला कुल्लू, हि०प्र०।
6.	श्रीमति चंचल ठाकुर	कार्यकारी सहायक निदेशक मत्स्य, (मुख्यालय व बीस सूत्रीय कार्यक्रम) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर, हि०प्र०।
7.	श्री हमीर चन्द	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला शिमला, हि०प्र०।
8.	श्री तपेश चौहान	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला सोलन, हि०प्र०।
9.	श्री जय सिंह	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंग डैम, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।
10.	श्री तपेश चौहान	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर, हि०प्र०। (अतिरिक्त कार्यभार)
11.	डॉ. लवल कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

12.	श्री श्याम लाल शर्मा	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
13.	श्री खेम सिंह ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
14.	श्री योगेश गुप्ता	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला ऊना, हि0प्र0।
15.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, जिला चम्बा, हि0प्र0।
16.	श्रीमति नीतू सिंह	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
17.	डॉ० सोम नाथ	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म नालागढ़, हि0प्र0।
18.	डॉ० राकेश कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म दयोली बिलासपुर, हि0प्र0।
19.	श्री पंकज ठाकुर	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, स्थित कार्प फार्म कांगड़ा, हि0प्र0।
20.	श्री विवेक शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, दयोली गगरेट, जिला ऊना, हि0प्र0।
21.	श्री संदीप कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
22.	श्री राकेश कुमार	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म सांगला, जिला किन्नौर, हि0प्र0।
23.	श्री अजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
24.	श्री पंकज पटियाल	मत्स्य अधिकारी, खटियाड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
25.	श्री अरुण कान्त वर्मा	मत्स्य अधिकारी, मच्छयाल, जिला मण्डी, हि0प्र0।
26.	श्रीमति रिचा गुप्ता	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म अल्सू, जिला मण्डी, हि0प्र0।
27.	श्री अजय कुलदीप	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
28.	श्री राम सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
29.	श्री राजेन्द्र पाल	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
30.	श्री दुनी चन्द	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म हामणी, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
31.	श्री सुरेन्द्र कुमार पटियाल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, लटियाणी, जिला ऊना, हि0प्र0।
32.	श्री हितेश कुमार कौण्डिल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जडडू, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

33.	श्री तेजराम	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
34.	श्री प्रीतम चन्द	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, संधारा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
35.	श्री मनजीत सिंह	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
36.	श्री विमल गुलेरिया	मत्स्य अधिकारी, बरोट, जिला मण्डी, हि0प्र0।
37.	श्री विजय कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, कसोल, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
38.	श्री विकास चन्द्रा	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म थला, जिला चम्बा, हि0प्र0।
39.	श्री प्रदीप कुमार	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र, सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0।
40.	श्री दिलवर सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
41.	श्री नीलमणी	उप-निरीक्षक मत्स्य, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
42.	श्रीमती अनीता कुमारी	उप-निरीक्षक मत्स्य, बटाहर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
43.	श्री बलजीत सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, भाखडा, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
44.	श्री लेख राज	उप-निरीक्षक मत्स्य, ट्राऊट फार्म धमवाड़ी, जिला शिमला, हि0प्र0।
45.	श्री सर्वजीत कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, राजनगर जिला चम्बा, हि0प्र0।
46.	श्री प्रभु लाल	उप-निरीक्षक मत्स्य, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0।
47.	श्री विवेक कुमार	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, जगातखाना, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
48.	श्री श्याम लाल	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, बैरल, जिला सोलन, हि0प्र0।
49.	श्री सूरम सिंह	उप-निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, मान्दली, जिला ऊना, हि0प्र0।




पतलीकूहल फार्म, जिला कुल्लू हि०प्र०।

3

12वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2019-20 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

क्रं. सं.	मद	12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य (2012-17)	12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राप्तियां (2012-17)	वार्षिक योजना 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2019-20 की प्राप्तियां
1.	मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन)	37605.00	53436.71	14200.00	14020.14
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	1220.00	1874.663	730.00	550.02

3.	ड्राऊट ओवा उत्पादन (लाख)	59.00	75.567	18.80	14.953
----	--------------------------	-------	--------	-------	--------



4

विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी तथा वर्ष 2022 तक मत्स्य उत्पादन को दुगुना करना;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;

- जलाशय तथा नदी नालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राउट व अन्य समशीतोष्ण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना;
- ट्राउट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मुलन में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्वर्धन को बढ़ावा देना।



नदीय मात्स्यकी




जलाशय मात्स्यकी

5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्रोतों से 18443.92 लाख रुपये की 14020.14 टन मछली का उत्पादन किया गया।

- विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 34.67 लाख रुपये कीमत की 7.71 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 91.16 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 2665.80 लाख रुपये कीमत की 592.40 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर चम्बा व सिरमौर जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है।



ट्राऊट फार्म बरोट, जिला मण्डी

- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 308.65 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है जोकि निर्धारित लक्ष्य (427.37) से 118.77 लाख रुपये गोविन्दसागर, पौंगडैम जलाशय का उत्पादन घट जाना तथा विभागीय ट्राऊट फार्म पतलीकूहल का भारी वर्षा के कारण जलापूर्ति अवरुद्ध होने से कार्यशील न होने के कारण कम रहा।



जलाशयों से मछली उत्पादन

- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 5350 (गोविन्दसागर 2213, कोलडैम 113, पौंगडैम 2800, चमेरा 155 व रणजीत सागर 69) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 8.19 करोड़ रुपये मूल्य की 580.43 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।



जलाशयों में मत्स्य बीज

- विभागीय कार्प फार्मों से वर्ष 2019-20 में 528.52 लाख तथा निजी कार्प फार्मों से 21.50 लाख (कुल 550.02 लाख) मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।

- राज्य में मत्स्य आखेट की गतिविधियों में

कार्यरत 13060 माहीगीरों को निःशुल्क जीवन सुरक्षा निधि के अन्तर्गत लाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत मछुआरों/मत्स्य पालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2.00 लाख रुपये का निशुल्क बीमा कवच, आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 1.00 लाख रुपये व चिकित्सा उपचार हेतु 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

- इस वर्ष 3710 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 115.01 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम-मछुआरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना के घटक मछुआरा आवास योजना विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में आरम्भ की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा 90:10 अनुपात में वहन किया जाता है। वर्ष 2019-20 में मछुआरा आवास योजना के तहत सामान्य जाति व अनुसूचित जाति के 200 मछुआरे लाभान्वित हुए।



मछुआरा आवास योजना के तहत निर्मित मकान

- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 503 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- वर्ष 2019-20 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 2449.43 लाख रुपये था। इसमें से 447.85 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन व मु0 79.01 लाख रुपये जन-जातीय उपयोजना के अधीन व्यय किये गये हैं।
- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) से प्राप्त अनुदान सहायता मु0 6.25 लाख रु0 की राशि से 250 व्यक्ति लाभान्वित हुए जो जलाशय मछुआरे व मत्स्य पालक थे। इसके अतिरिक्त 10 विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु देश के विभिन्न राज्यों में Training of Trainers(TOT) प्रोग्राम के तहत भेजा गया।

6

प्रमुख वार्षिक गतिविधियां

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विभागीय गतिविधियां उल्लेखनीय रहीं:-

- हाल ही में **“Recent Advancements Technologies and Entrepreneurship in Aquaculture in H.P.”**

विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला मत्स्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य मंत्री श्री वीरेन्द्र कंवर की अध्यक्षता में दिनांक 18 और 19 दिसम्बर, 2019 को होटल लेक व्यू, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी।



- विभाग द्वारा माननीय सदर विधायक बिलासपुर, श्री सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में दिनांक 15.11.2019 को एक दिवसीय राष्ट्रीय **“Angling Competition”** का आयोजन किया गया था।



- हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू, साईट्रस होटल मनाली में तीन दिन का राष्ट्रीय **“Awareness Building workshop on Rainbow Trout Culture”** का आयोजन किया गया था। जिसमें रेंनवो ट्राउट फार्मिंग के डेनमार्क से विशेषज्ञों के साथ-साथ सभी शीतल जल राज्यों के अधिकारियों एवं मत्स्य कृषकों ने भाग लिया।



- राज्य के मछुआरों व मछली पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को आरम्भ किया गया।

- विभाग द्वारा माह फरवरी व मार्च 2020 के दौरान 10.00 लाख रेंनबो ट्राऊट आई डोवा डेनमार्क से आयात किया गया।



- हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन नियम, 1979 को लगभग 40 वर्षों बाद रिपीट कर मत्स्य पालन नियम 2020 को अधिसूचित किया गया।

- राज्य जलाशय मछुआरों के फिशिंग कॉफ्ट और गियर (नाव व लाईफ जैकेट आदि) की लंबे समय से लंबित मांग को इस वर्ष पूर्ण कर दिया गया।

- राज्य के कौलडैम जलाशय में पहली बार केज कल्चर में ट्राऊट मछली पालन आरम्भ करने की परियोजना बनाई गई।

- विभाग में PFMS (Public Financial Management System) शुरू किया गया।

- राज्य में ट्राऊट मछली पालन में पहली बार क्लस्टर अप्रोच के साथ ट्राऊट किसानों की फिड मिल, हैचरी आदि ट्राऊट इकाइयों के आसपास के क्षेत्र में अनेक सुविधाएँ शुरू की गईं।



- निजी क्षेत्र में रेंनबो ट्राऊट प्रजनन तकनीक सफलतापूर्वक स्थांनांतरित कर ट्राऊट हैचरियों की स्थापना की गई।

- जला ऊना के मछली किसान श्री अनिल राणा को NFDB द्वारा हैदराबाद में राष्ट्रीय पुरस्कार (Best Performing Fish Farmer-Inland states) "Carp" से सम्मानित किया गया।



- राज्य के मछली पालकों को मछली प्रसंस्करण जैसे फिश फिलेट, बोल, चिप्स आदि पर प्रशिक्षण दिया गया।



7

वार्षिक योजना 2019-20

हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में श्वेत क्रान्ति, हरित क्रान्ति आने के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में 2633 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था तथा वार्षिक योजना 2019-20 में 2449.43 लाख रुपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं:



निर्देशन एवं प्रशासन



जलाशय संरक्षण



कार्प बीज उत्पादन



ट्राऊट बीज उत्पादन



कार्प बीज फार्मों का विस्तार



केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम “नील क्रान्ति” एकीकृत मात्स्यिकी विकास एवं प्रबंधन



सामुदायिक तालाबों का निर्माण



जनजातीय उप योजना



मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

8

निर्देशन एवं प्रशासन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य, “नदीय स्रोतों में परिग्रहण मात्स्यिकी” को बढ़ावा देना था तथा राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे वर्तमान में प्रदेश के कुल मत्स्य उत्पादन का 4.41 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन हुआ है। प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के मात्स्यिकी संसाधनों पर दोहन का दबाव यद्यपि दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में लगभग 114 पद खाली चल रहे हैं।



गोबिंदसागर जलाशय में मछली पकड़ते मछुआरे

योजना का नाम	वर्ष 2019-20 का बजट प्रावधान	वर्ष 2019-20 में व्यय
निर्देशन एवं प्रशासन	16.00 लाख	15.30 लाख


9

प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाशयों में मात्स्यिकी का प्रबन्धन एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षण :-

प्रदेश के जलाशयों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इसी तरह ये संसाधन बांध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 70 मि.मी. आकार का बीज संग्रहित किया जा रहा है। जिसके भविष्य में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आने की सम्भावना है।



वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तिः-

जलाशय का नाम	मत्स्य उत्पादन (मी० टन)	राजस्व (लाखों में)	बीज संग्रहण (लाखों में)।
गोबिन्द सागर	237.76	42.55	20.311
पौंग डैम	240.267	82.71	0.234
चमेरा	2.949	0.79	1.613
रणजीत सागर	90.229	14.53	0.00

कोल डैम	9.224	1.36	3.876
कुल	580.43	141.94	26.034

(2) कार्प बीज उत्पादन:-

राज्य में पहले ही सात कार्प बीज फार्म, दयौली (जिला बिलासपुर), अल्सू (जिला मण्डी), नालागढ़ (जिला सोलन), दयौली गगरेट (जिला ऊना), कांगड़ा, सुल्तानपुर (जिला चम्बा) तथा मच्छयाल (जिला मण्डी) में स्थापित किये गये हैं तथा नया कार्प फार्म बदरीपुर (पौटा साहिब) जिला सिरमौर में स्थापित किया जा रहा है। मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पनबिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्याधिक बढ़ गई है। इस प्रयोजन से सभी फार्मों पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेर-बदल किया जाना वांछित था।




राज्य में 'महाशीर' मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मछली प्रजाति का हिमाचल के मत्स्य फार्म, मच्छयाल (मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है ताकि इसके उत्पादन से प्रदेश को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को रुचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है। इसलिए प्रदेश के नदीय स्रोतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक है। महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है। अतः प्रदेश के जलों को महाशीर मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है। इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मों से मार्च 2020 तक 528.54 लाख तथा निजी फार्मों से 21.50 लाख (कुल 550.02 लाख) बीज का उत्पादन किया गया है।

योजना का नाम	वर्ष 2019-20 का बजट प्रावधान	वर्ष 2019-20 में व्यय
--------------	------------------------------	-----------------------

कार्प बीज उत्पादन	142.73 लाख	141.47 लाख
-------------------	------------	------------

विभागीय कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का प्रतिशत विवरण इस प्रकार है:-



क्रमांक	विभागीय कार्प फार्म का नाम	बीज उत्पादन(लाखों में)
1.	दयोली (बिलासपुर)	130.20
2.	अल्सू (मण्डी)	82.78
3.	कांगड़ा	8.34
4.	सुल्तानपुर (चम्बा)	60.80
5.	नालागढ़ (सोलन)	146.00
6.	गगरेट (ऊना)	100.40
7.	मछियाल	0.42

योग	528.54
-----	--------

(ख) क्रीड़ा मात्स्यकी का प्रबन्धन एवं विकास:

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राऊट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राऊट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में कार्यरत ट्राऊट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है। इसलिए विभागीय ट्राऊट फार्मों पतलीकूहल, हामनी, भान्दल, बरोट, सांगला, होली तथा धमवाड़ी में नवीनतम तकनीक से ट्राऊट मत्स्य पालन किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्ष भारी बरसात के कारण जिला कुल्लू के पतलीकूहल नामक स्थान पर विभाग का सबसे बड़ा ट्राऊट फार्म तथा जिला चम्बा में होली नामक ट्राऊट फार्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी पुनःप्रवर्तन हेतु मामला भारत सरकार को भेजा गया है। इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राऊट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इस वर्ष 14.95 लाख ट्राऊट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के बीज फार्मों से हुआ है। वर्ष 2019-20 में ट्राऊट बीज की मांग को देखते हुए 10.00 लाख रेंनबो ट्राऊट आंख वाले अण्डे डेनमार्क से भी आयात किए गए।



योजना का नाम	वर्ष 2019-20 का बजट प्रावधान	वर्ष 2019-20 में व्यय
ट्राऊट बीज उत्पादन	80.70 लाख	80.08 लाख

(ग) वाणिज्यिक ट्राऊट उत्पादन:

राज्य के ऊपरी ढंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राऊट कृषि परियोजना की शुरुआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई है। जिसके

मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राउट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राउट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबो ट्राउट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया गया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है। इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने में भी विभाग द्वारा कार्य किया गया है। वर्ष 2019-20 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राउट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है।


वर्ष 2019-20 में निजी ट्राउट मत्स्य पालकों के फार्मों से कुल 592.40 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन हुआ जिसका मुल्य 2665.80 लाख रुपये है तथा यह उत्पादन वर्ष 2018-19 से 32.30 मीट्रिक टन अधिक है। विभागीय फार्मों से भी 91.16 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

क्रम संख्या	ट्राउट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकूहल (कुल्लू)	0.00	38.69
2.	हामनी (कुल्लू)	2.618	17.67
3.	बरोट (मण्डी)	1.978	14.21
4.	सांगला (किन्नौर)	1.653	10.85
5.	धमवाड़ी (शिमला)	1.438	7.50
6.	थला (चम्बा)	0.00	2.06
7.	भान्दल (चम्बा)	0.018	0.18
	कुल:-	7.705	91.16

(घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं

रख-रखाव:

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीड़ा मात्स्यिकी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण



महाशीर फार्म, मछियाल जिला मण्डी।

प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है। प्रदेश के जलों में इस मछली की पुर्नस्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मछियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अर्न्तगत एक महाशीर मछली बीज फार्म का निर्माण किया गया है।

योजना का नाम	वर्ष 2019-20 का बजट प्रावधान (लाखों में)	वर्ष 2019-20 में व्यय (लाखों में)
कार्प बीज फार्मों का विस्तार	18.70	18.48

(इ) अनुसूचित जाति उप योजना:

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचा करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गों की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 200.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था तथा वार्षिक योजना 2019-20 में 500.082 लाख रुपये के संशोधित उद्ध्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। जिसका निम्नलिखित विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-



Budget sanctioned/expenditure incurred under Demand no-32(SCSP) during financial year 2019-20											
Sr/ No	Detail of Scheme/SO Es	Original/ Sanctioned Budget	Revised Budget	Total Budget	Physical Targets (No./Ha.)	Components of expenditure	Go/GoHP Sanction/Directorate Endst. letter no /Date	Amount of Sanction	Go/ Installment/ Budget Alloted	Expenditure as on dated:	Balance Budget
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	09-Adv. & publicity	200000	0	200000	10	Exhibition Stalls	Powers Delegated to DDO's at District Level	0	0	200000	0
	20-Other Charges	200000	0	200000	800	Trainings		0	0	200000	0
	36-Minor Works	500000	0	500000	5	Repair Work of CP		0	0	500000	0

	63-Subsidy	50000 0	0	500000	1 0 0	Gillnets	GoHP Fish -F(4)-2/2017, dt.24/06/2019 & Dte. endst. no.FSH-F(10)-43/86-TD-IV-6506-13, Dt 2/7/19	500000	0	50000 0	0					
(A)	Total:-	14000 00	0	140000 0	9 1 5			500000	0	14000 00	0					
2 2405-00-789-03-Plan; RKVY																
	44-GIA (C90N)	14120 00	(-) 1412000	0	0					0	0					
	44-GIA (S10N)	10000 0	(-) 1000000	0	0					0	0					
(B)	Total:-	15120 00	(-) 1512000	0	0					0	0					
	63-Subsidy(C90N)	97920 0	1789000	276820 0	05 Trout Units including input cost (Kullu-02,Mandi, PLP-01) for CFY: 2019-20 & unspent of previous years 2018-19 c/o seed rearing ponds @ Rs. 4.50 Lac/hac.+ 1st ye input - Palampur = 0.20 hac.(Kar.-0.1+Hmr.-0.1 hac) Una=0.20 hac Pongdam=0.10 hac. Total area=0.50 hac= 2.25 Lac & c/o carp hatchry PLP=15.00 Lac; Total Rs. 17.25 Lac	c/o 05 trout raceways/ unspent amount Rs. 17.25 Lac	GoHP released 1st install. No. Fish-F (5)-2/2017, Dt.23/10/2019 & Dte. endst. Fish -F-(3)-108/2017-TD-X-Dt, 27-9-19	21600 00	2160000	0	0					
	63-Subsidy(S10N)	10880 0	199000	307800				24000 0	240000	0	0					
	63-Subsidy(C90N)	0	0	0			c/o 05 trout raceways	GoHP released 2nd install. No. Fish-F(5)-2/2017-Loose(RKVY), Dt. 21/01/2020 & Dte. endst. No. Fish-F-(3)-108/2017-TD-X dt.24/01/2020	60800 0	608000	2768000	200				
	63-Subsidy(S10N)	0	0	0					67000	67000	307000	800				
(C)	Total:-	10880 00	1988000	307600 0					30750 00	3075000	3075000	100 0				
3 2405-00-789-07-plan; CSS BLUE REVOLUTION SCHEME																
	20-Other Charges (COON)	30000 0	0	300000	0	0	0	0	0	0	300 000					
	63-Subsidy(C90N)	97000 00	13153000	228530 00	3rd instt. of hatchery to Mandi Rs.21.71, previous years 2017-18 & 2018-19 unspent Amount Rs. 116.455 Lac and for CFY 2019-20; 89 houses & 1489 fishermen for close season assistance including 15 days Rs. 146.969 Lac extension of close season period. 07 Trout units including input cost NFDB state share Rs. 0.945 Lac only	c/o Fish ponds, houses, close season assistance etc.	Gol.has realised Rs. 19.539 Lac as 3rd/Final instt. of targets 2017-18, released Rs. 127.954 Lac for providing 1489 F/M close season assistance + 89 Nos F/M houses during CFY 2019-20 and unspent amount Rs. 104.8605 Lac	22852950	3rd/final instt. against project proposal-2017-18 released Rs.19.539 Lac vied letter no. J-13011/1/2017-Fy, dt.22/08/2019, 1st & final instt. of project proposals 2019-20 released Rs.127.954 Lac vied letter no. 12012/09/2009-Fy (WU), Vol.-II, dt.15/10/2019 and 1st instt. Aspirational Distt. Rs. 8.50 Lac (SCSP) transferred to bank acc. vide letter no. NFDB/Asp Dts./2019-20/2344, dt. 8/01/2020	22852950	50					
	63-Subsidy(S10N)	11000 00	1529000	262900 0										2628050	2628050	950
	63-Subsidy(C53N)	16000 00	782000	238200 0										2382000	2382000	0
	63-Subsidy(S13N)	40000 0	345000	745000										744900	744900	100
	63-Subsidy(S20N)- PMBSY	14000	0	14000								4438	Insurance premium of F/M under PMSBY	GoHP No. Fish-F-(4)-2/2013, dt. 12/02/2020 & Dte. ends. No FSH-F(3)-108/2017-TD-XII-1618-23, DT.14/02/2020	13793	13793
(D)	Total:-	13114 000	15809000	289230 00	0	0	0	28621693	0	28607900	301 307					
4 2405-00-789-07-plan; Insurance of Fishermen under PMJJBY																
	63-Subsidy(S50N)	264000	0	264000	1600	Insurance premium of F/M under PMJJBY	No. Fish-F-(4)-2/2013-Part-1,dt. 12/02/2020 & ends. No FSH-F(3)-108/2017-TD-XII-1571-75, DT.13/02/2020	264000	0	264000	0					
(E)	Total:-	264000	0	264000	1600	0	0	264000	0	264000	0					
5 4405-00-789-02(SOON)-Plan; Fisheries Buildings																
a).	37- Major Work	11122000	0	0	2 works	c/o Fisher community center- Angling hut including all furnishing at Fisheries complex Dehra District Kangra	GoHP No. Fish-C(2)-5/2018 , dt. 14/11/2019 & Dte. endstt. No. FSH-F(6)-114/ 2019-TD-Angling Hut Dehra-12712-16,dt. 16/11/2019	9648000	0	9648000	0					
b).						c/o boundary wall around the fish Pond & residential quarters	GoHP No. Fish-C(5)-1/2010 , dt. 11/07/2019 & Dte. endstt. No. FSH-F(3)-108/ 2014-TD-Badripur -72052-07,dt. 17/07/2019	1474000	0	1474000	0					
(F)	Total:-	11122000	0	11122000	0	0	0	11122000	0	11122000	0					
Grand Total :- (A+B+C+D+E+F)		26988000	17797000	44785000	8544	0	0	43582693	3075000	44468900	302 307					

(च) जनजातीय क्षेत्र उप योजना:

हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल व स्पिति तथा चम्बा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातीय क्षेत्र में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं। जिनमें ट्राऊट पालन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) इत्यादि हैं। इन झीलों में ट्राऊट पालन आरंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातीय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहौल व स्पिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर (थल्ला) में एक मत्स्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा पांगी क्षेत्र में एक मात्स्यिकी क्षेत्रीय सहायक दैनिक वेतन भोगी आधार पर कार्यरत है। जनजातीय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से वांछित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राऊट फार्म स्थापित किया गया है जो इस वर्ष बरसात में बाढ आने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वर्ष के दौरान ट्राऊट बीज फार्मों के उचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि छोटी-बड़ी सभी नदियों में ट्राऊट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके। चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र के जलों में ट्राऊट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली तथा थला नामक स्थान पर एक एक ट्राऊट फार्म बना दिया गया है। इस वर्ष इस स्कीम में केन्द्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत गैर जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए विभाग द्वारा मांग संख्या-31 के अन्तर्गत निम्न लिखित योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

Budget sanctioned/expenditure in curred under Demand no-31(TASP) during financial year 2019-20											
Sr. No.	Detail of Scheme/SOEs	Original/ Sanctioned Budget	Revised Budget	Total Budget	Physical Targets (No./Ha.)	Components of expenditure	GoI/GoHP Sanction/Directo rate Endst. letter no /Date	Amount of Sanctio n	GoI Installment / Budget Alloted	Expenditu re as on dated:	Balance Budget
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	2405-00-796-02(SOON) Plan										
i)	05-Office Expenses	430000	388000	388000	0	Budget allotted for meeting Expenses of office maintenance	Powers delegated to Distt. Level DDO's	0	0	328000	60000
ii)	21-Maintenance	280000	100000	100000	0			0	0	100000	
iii)	30-MV& POL etc.	270000	431000	431000	0			0	310000	121000	
iv)	31-M & Eqp.	0	40000	40000	0			0	40000	0	
v)	33-MS	410000	242000	242000	0			0	81076	160924	

(A)	Total:-	1390000	1201000	1201000	0			0	0	759076	441924
2)	2405-00-796-03-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA in Chamba & Bhatyat pockets										
i)	63-Subsidy(S10N)	153000	0	153000	6	C/o Fish ponds including input cost, area 0.05 Hac.	GoHP Letter no. Fish-F(4) -1/2017-11, Dt.5/07/2019 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2017-TD-XI-6974-77, Dt.10/07/2019	153000	153000	0	153000
(B)	Total:-	153000	0	153000	6			153000	153000	0	153000
3)	2405-00-796-04(AOOS)-Plan ;Expenditure on fisheries under SCA (c/o Trout Raceways including input cost)										
i)	63-Subsidy	1080000	0	1080000	4	c/o Trout Raceways including input cost	GoHP Letter no. Fish-F(4) -1/2017-11, Dt.5/07/2019 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2017-TD-X-6958-62, Dt.10/07/2019	1080000	1080000	540000	540000
(C)	Total:-	1080000	0	1080000	4			1080000	1080000	540000	540000
4)	2405-00-796-05-A00S-Plan; Expenditure on fisheries under SCA for disperse tribes (OTA)										
i)	63-Subsidy	255000	0	255000	10	c/o Trout Raceways including input cost	GoHP Letter no. Fish-F(4) -1/2017-11, Dt.5/07/2019 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2017-TD-XI-6963-73, Dt.10/07/2019	255000	255000	229500	25500
(D)	Total:-	255000	0	255000	10			255000	255000	229500	25500
5)	2405-00-796-06-Plan; Expenditure under RKVY										
i)	63-Subsidy(C90N)	800000	51000	851000	3	c/o Trout Raceways including input cost+ previous years unspent amount Rs. 1.35 Lac only	GoHP Letter no. Fish-F(5) -2/2017, Dt.25/07/2019 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2017-TD-X-9842-46, Dt.27/09/2019(1ST INSTT.)Rs. 4.05 Lac only	851000	851000	851000	0
ii)	63-Subsidy(S10N)	100000	(-) 6000	94000				GoHP Letter no. Fish-F(5) -2/2017-Loose(RKVY), Dt.20/01/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2017-TD-X-794-802, Dt.24/01/2020 (2nd INSTT.) Rs.5.40 Lac only	94000	94000	94000
(E)	Total:-	900000	45000	945000	3			945000	945000	945000	0
6)	2405-00-796-07-plan; CSS BLUE REVOLUTION SCHEME										
i)	20-Other Charges(COON)	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000
ii)	63-Subsidy(C90N)	2256000	0	2256000	Unspent Amount Rs. 22.10 Lac only	Unspent Amount Rs. 22.10 Lac only	GoHP Letter no's. Fish-B-(15) -6/2018, Dt.5 & 7/07/2019(Two sanction) & Dte.endst.no's FSH-F(3)-108/2017-TD-X-9847-52, Dt.27/09/2019 & FSH-F(3)-108/2015-TD-DMFY-9837-41, Dt.27/09/2019	1989000	Previous years unspent amount sanctions issued, no fresh release has been received from GoI during CFY: 2019-20	1989000	267000
iii)	63-Subsidy(S10N)	240000	0	240000				221000		221000	19000
iv)	63-Subsidy(C53N)	144000	35200	179200	112	close season assistance including extended period	GoHP Letter no. Fish-B-(15) -6/2018, Dt.23/12/2019 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2013-TD-Relief-394-400, Dt.13/01/2020	179200	Gol Letter no F.No.12012/09/2009-fy (WU), Vol.II, Dt. 15/10/2019 realised first & fresh instt. Rs.179200/- only	179200	0
v)	63-Subsidy(S13N)	36000	20000	56000				56000		56000	0
vi)	63-Subsidy(S20N)-PMBYS	2000	0	2000	364	insurance premium pmt.	GoHP Letter no. Fish-F(4) -2/2013-I, Dt.12/02/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2017-TD-XII-1606-11, Dt.14/02/2020	1131	0	1131	869
(F)	Total:-	2778000	0	2833200	476			2446331	0	2446331	386869
7)	2405-00-796-08-plan; Insurance of Fishermen under PMJJBY										
i)	63-Subsidy(S50N)	66000	0	66000	265	Insurance premium pmt.	GoHP Letter no. Fish-F(4) -2/2013-Part -III, Dt.12/02/2020 & Dte.endst.no FSH-F(3)-108/2017-TD-XII-1612-17, Dt.14/02/2020	43725	0	43725	22275
(G)	Total:-	66000	0	66000	265			43725	0	43725	22275
8)	2415-01-796-06(SOON) PLAN										
i)	42-GIA(non-salary)	400000	0	400000	0	Reserch work of fisheries to HPCSKV	GoHP Letter no. Fish-C-(2) -4/2017, Dt.11/07/2019 & Dte.endst.no FSH-F(8)-4/78-(D)-IX 7193-95, Dt.17/07/2019	400000	0	400000	0
(H)	Total:-	400000	0	400000	0			400000	0	400000	0
9)	4405-00-796-01(SOON)-Plan; Capital outlay for c/o Fisheries Buildings										
i)	37- Major Work	1478000	0	1478000	1	Restoration work of water supply to fish farm Holi has been purposed to execute through DRDA-Chamba under MNRGA with estimated cost RS. 4788700/-only	GoHP Letter no. Fish-C-(5) -1/2010(4), Dt.14/08/2019 & Dte.endst.no FSH-F(5)-167/90-(TD)-III-8783-87, Dt.31/08/2019	1478000	0	1478000	0
(I)	Total:-	1478000	0	1478000				1478000	0	1478000	0
G.	Total:(A+B+C+D+E+F+G+H +I)	8500000	1246000	8411200	764			6801056	0	6841632	1569568

(छ) मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002-03 में 'मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का शुभारम्भ हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इस योजना को शुरू करने हेतु विभाग को सितम्बर, 2003 में स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करके उन्हें भरे जाने की औपचारिकताएं मार्च, 2004 को पूर्ण हो पाई जिसके साथ ही राज्य में यह योजना प्रारम्भ हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है।

(ज) मत्स्य अनुसंधान 'हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय':

मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को मत्स्य अनुसंधान हेतु वर्ष 1981-82 से अनुदान प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतु तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षों में भी जारी रखी जाएगी। इस वर्ष 4.00 लाख रुपये के प्रावधान से पूर्ण राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2020 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

10

विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

(क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना :

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर कमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस नील कान्ति मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह

योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फैंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों व मत्स्य पालकों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी होती है। बीमित माहीगीर की मृत्यु अथवा 100 प्रतिशत स्थाई विकलांगता की दशा में उसे/उसके आश्रितों को 2,00,000/- रुपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में उसे 1,00,000/-रुपये दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा उपचार हेतु 10,000/- रुपये भी प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत 2 सम्बन्धित मछुआरों के परिवारों को मुवाबजे के रूप में 3 लाख रु० की राशि वितरित की गई।



(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजना:

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए “मछुआरा जोखिम निधि” की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयंत्रों की मरम्मत हेतु इन संयंत्रों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत भाग इनको मरम्मत हेतु इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञापति पत्र प्राप्त करते समय 20 रुपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 34 मछुआरों को रु० 2.80 लाख की राहत राशि प्रदान की गई है।



(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अंशदायी बन्द सीजन राहत योजना:

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबर्धन द्वारा वंशवृद्धि करने के लिए राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत एक अंशदायी आर्थिक सहायता स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 100/- रुपये प्रतिमाह अपना अंशदान इस कोष में जमा करवाता है।

इस प्रकार से जमा कुल राशि में केन्द्र सरकार 1600/- रुपये प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 400/- रुपये / माहीगीर अपना अंशदान जमा करते हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अंशदान 3000/- रुपये प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बन्द सीजन में क्रमशः 1500-1500/- रुपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहीगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में संलिप्त नहीं होते हैं। वर्ष 2019-20 में 3710 मछुआरों को इस योजना के अधीन 111.30 लाख रु० (77.91 Govt. & 37.10 Fishermen Share) वितरित किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):

राज्य में वर्ष 2019-20 में निजी क्षेत्र में 41 नई ट्राऊट ईकाइयों के निर्माण हेतु 25.20 लाख रु० की राशि अनुदान के रूप में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को वितरित की गई। इसी प्रकार जिला चम्बा के भनौता नामक स्थान पर 30.00 लाख रु० की लागत से एक मत्स्य आवतरण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।



वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) Demand No. 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां रही।

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या/इकाई
1.	निजी क्षेत्र में ट्राऊट रेसवेज का निर्माण।	25.20	25.20	23
5.	भनौता जिला चम्बा (चमेरा जलाशय) में मत्स्य आवतरण केन्द्र का निर्माण	30.00	30.00	01
	कुल योग:-	55.20	55.20	24

वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना Demand No. 31-32 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां रही।

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या/इकाई
1.	जन-जातीय क्षेत्रों में ट्राऊट यूनितों का निर्माण	18.90	13.50	05
2.	ट्राऊट रेसवेज का निर्माण(SC)	13.50	13.50	03
3.	अन्य प्रभार (प्रशिक्षण SC/SP)	2.00	2.00	800
	कुल योग:-	34.40	29.00	808

नील क्रान्ति मिशन

नील क्रान्ति मिशन-एकीकृत मात्स्यिकी विकास एवम् प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा

सके। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा योजना प्रायोजित के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के जल संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। नील क्रान्ति मिशन प्रदेश में वर्ष 2016-17 में शुरू हुआ तथा इसका मुख्य लक्ष्य देश तथा प्रदेश में रह रहे मछुआरों व मत्स्य पालकों का आर्थिक उत्थान करना एवम् जल संसाधनों का पुर्ण एवम् सही उपयोग करके भोजन तथा पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। मात्स्यिकी क्षेत्र में भविष्य में उच्च सम्भावित विकास के मध्यनजर माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र में एक क्रान्ति का अह्वान किया है जिसे “नील क्रान्ति” नाम दिया गया है। नील क्रान्ति मिशन से मछुआरों एव मत्स्य पालकों” जो सामाजिक एव आर्थिक दृष्टी से कमजोर हैं, की आय दुगुनी होने की अपेक्षा है। भारत सरकार के कृषि एव किसान कल्याण मन्त्रालय के पशुपालन एव दुग्ध तथा मात्स्यिकी विभाग द्वारा भारत वर्ष में संचालित सभी योजनाओं का पुर्नगठन करके एक नई योजना के अधीन इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका नाम नील क्रान्ति मिशन है पुर्नगठित योजना का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों की मछली का उचित विकास एवं प्रबन्धन करना है। इस योजना के तहत सरकार तथा लाभार्थी पात्रता अनुसार 40 प्रतिशत व 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

1. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) नील क्रान्ति (Blue Revolution) के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में कलस्टर परियोजना में सामान्य श्रेणी के किसानों को 08 कलस्टर के अन्तर्गत 182 यूनिटों (120 यूनिट सामान्य श्रेणी तथा 62 यूनिट महिला श्रेणी के लाभार्थी) के निर्माण करने तथा प्रथम वर्षिय आदानों पर उपदान सहायता के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि अनुसार मु0 243.00 लाख की राशि प्रदान की गई।
2. वर्ष 2019-20 में कलस्टर परियोजना में सामान्य श्रेणी के किसानों को 08 कलस्टर के अन्तर्गत 08 ट्राऊट फीड मिल (06 सामान्य श्रेणी तथा 02 नं0 महिला श्रेणी के लाभार्थी) के निर्माण करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि अनुसार 50 प्रतिशत उपदान सहायता के रूप में मु0 18.00 लाख की राशि प्रदान की गई।
3. वर्ष 2019-20 में कलस्टर परियोजना में सामान्य श्रेणी के किसानों को 08 कलस्टर के अन्तर्गत 08 ट्राऊट हैचरी (06 सामान्य श्रेणी तथा 02 नं0 महिला श्रेणी के लाभार्थी) के निर्माण करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि अनुसार 50 प्रतिशत उपदान सहायता के रूप में मु0 45.00 लाख की राशि प्रदान की गई।

4. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) नील क्रांति (Blue Revolution) के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदेश के जलाशयों के सामान्य श्रेणी के 169 मछुआरों (125 यूनिट सामान्य श्रेणी तथा 44 यूनिट महिला श्रेणी) को मछली पकड़ने के उपकरण प्रदान करने के लिए मु0 76.40 लाख की राशि प्रदान की गई। जिसका विवरण निम्न अनुसार है:-

क्र०स०	वस्तु/ उपकरण का नाम	इकाई लागत (लाखों में)
1	लकड़ी की किशती	0.60
2	पोर्टेबल टैंक	0.25
3	गिल जाल	0.06
4	रेनकोट	0.03
5	लाइफ जैकेट	0.04
6	तरपाल	0.02
	योग:-	1.00

5. वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदेश केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) नील क्रांति (Blue Revolution) के अन्तर्गत मत्स्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में सत एक्वा फार्म के माध्यम से मत्स्य मुद्रा स्कीम का क्रियान्वयन हेतु (Matsya Mudra aquaculture diversification in Himachal Pradesh by Sat Aqua Farms) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि अनुसार उपदान सहायता के रूप में प्रथम किस्त के रूप में मु0 26.0226 लाख की राशि प्रदान की गई है।
6. वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) नील क्रांति (Blue Revolution) के अन्तर्गत कौल डैम जलाशय में ट्राऊट केजों की स्थापना के लिए मु0 72.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
7. वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) नील क्रांति (Blue Revolution) के अन्तर्गत विभागीय ट्राऊट फार्मों में (हामणी, होली, सांगला तथा

चम्बा) सौर ऊर्जा हेतु मु० 2019-20 में मु० 54.385 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

8. वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (CSS) नील क्रांति (Blue Revolution) के तहत विभाग द्वारा मांग संख्या 31-32 के अन्तर्गत मु० 33.622 लाख रुपये की सहायता से 260 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

(क) तालाब, दलदल क्षेत्र, जलाशय एवं ठण्डे जलों से सम्बन्धी योजनाएँ :-

1. ट्राऊट यूनिटों का निर्माण :

नील क्रांति मिशन के अन्तर्गत 17x2x1.5=51 Cum साईज के पक्के रेसवेज निर्माण हेतु कुल लागत 2.00 लाख रु० होती है जिसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 40 प्रतिशत यानि मु० 0.80 लाख रु० प्रति रेसवेज केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश के भीतर 120 ट्राऊट यूनिटों के निर्माण हेतु मु० 78.00 लाख रु० उपदान के रूप में सामान्य श्रेणी के किसानों को प्रदान किये गए।

2. प्रथम वर्षीय आदानों के क्रय हेतु सहायता :

ट्राऊट प्रति यूनिट पालकों को आदानों (बीज खाद खुराक) के क्रय पर आने वाली लागत 2.50 लाख रु० का 40 प्रतिशत मु० 1.00 लाख रु० प्रति यूनिट उपदान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2019-20 में 99 ट्राऊट यूनिटों के लिए बीज आहार हेतु मु० 100.00 लाख रु० स्वीकृत किये गए।

3. कार्प बीज फार्म नालागढ़ में आर ऐ एस की स्थापना :

कार्प मत्स्य बीज फार्म नालागढ़ जिला सोलन में RAS (Recirculatory Aquaculture System) की स्थापना हेतु मु० 50.00 लाख रु० की राशि वर्ष 2018-19 के लिये बजट में प्रावधान रखा गया था, जिस में से 50 प्रतिशत राशि मु० 25.00 लाख रु० वर्ष 2018-19 में व्यय की गई है, शेष 50 प्रतिशत राशि मु० 25.00 लाख रु० वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय की गई।

4. निजि क्षेत्र में ट्राऊट फीड मील की स्थापना :

निजि क्षेत्र में ट्राऊट मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2019-20 में जिला शिमला तथा कुल्लू में सामान्य जाति के लिए 02 ट्राऊट फीड मीलों की स्थापना हेतु मु0 10.00 लाख रु0 की राशि व्यय की जा रही है।

5. निजि क्षेत्र में कार्प फीड मीलों की स्थापना :

निजि क्षेत्र में कार्प मछली को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2019-20 में जिला बिलासपुर व जिला कांगड़ा (पालमपुर) में सामान्य जाति के 02 कार्प फीड मीलों के निर्माण हेतु 10.00 लाख रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था, परन्तु वर्ष 2018-19 में केन्द्र सरकार से फीड मील की स्थापना हेतु केवल 50 प्रतिशत किस्त मु0 6.00 लाख रु0 ही जारी की गई थी। शेष मु0 राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2019-20 में कर दिया गया है।

11

प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- **ई-समाधान:** मत्स्य विभाग में ई-समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई-समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुईं उन सभी का निपटारा कर दिया गया है।
- **ई-सर्विस:** कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई-सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
- **ई-लाईसेंस:** इस सेवा से राज्य तथा राज्य के बाहर व विदेशों से आने वाले एंगलर पर्यटकों को उनके घर पर ही बिना किसी असुविधा के लाईसेंस उपलब्ध करवाया जाता है।

12

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 तथा वर्ष 2019-20 के वित्तीय प्रावधान एवं निर्धारित लक्ष्य:

(i) वित्तीय प्रावधान:

क्र०	योजना का नाम	12वीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रावधान (राशि लाख में)	12वीं पंचवर्षीय के लिए कुल आवंटित बजट	वार्षिक योजना 2019-20 के वित्तीय प्रावधान (राशि लाख में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	194.22	154.49	16.00
2.	जलाशय मात्स्यिकी का विकास एवं प्रबन्ध			
	(a) जलाशय संरक्षण	115.90	10	0.00
	(b) मत्स्य बीज उत्पादन	251.57	417.64	219.32
3.	क्रीड़ा मात्स्यिकी का विकास एवं रख-रखाव (ट्राउट बीज फार्म)	347.30	416.66	257.20
4.	कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख-रखाव	124.31	58.2	58.05
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	9.30	7.78	1.20
6.	800- अन्य व्यय			
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड	13.50	8.9	2.25
	(b) मछुआरों का कल्याण SCSP	85.50	39.7	..
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना	9.50	6.5	..
7.	राष्ट्रीय कृषि विकास	1014.90	721	97.33

	योजना			
8.	अन्तः स्थलीय मत्स्य सांख्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास (केन्द्रीय योजना)	80.00	13.33	16.15
9.	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (केन्द्रीय योजना)	100.00	0.001	स्कीम बंद
10.	मछुआरों का कल्याण (केन्द्रीय योजना)	80.00	0.03	स्कीम बंद
11.	एकीकृत मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन (नील क्रान्ति मिशन)	80.00	121.17	1080.68
12.	अनुसूचित जाति उप योजना	200.00	429	444.69
13.	जनजातीय उप योजना	193.00	193.50	68.42
	कुल योग :-	2899.00	2597.901	2261.29

13

सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1) (बी) के अन्तर्गत सूचना

(i) विभाग के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:-

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राउट व अन्य समशीतोष्ण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;

- राज्य में क्रीडा मत्स्य को बढ़ावा देना, विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्बर्धन को बढ़ावा देना

कर्तव्य :-

ऊपर कहे गये विभाग के सभी कार्यों के लिए योजनाओं की व्यवस्था करना और हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979 को लागू करना।

(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:

अधिकारियों की शक्तियां:-

अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड-I और खण्ड-II में की गई है। अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कार्यालय पुस्तिका में समय-समय पर संसोधन कर विचार-विमर्श करके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय पुस्तिका में जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग के पत्र संख्या-Fin-F(A)-(II)-11/2004 Dated 3rd June 2014, के अनुसार वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।

कं.सं.	अधिकारों के प्रकार	अधिकारी जिसको अधिकार सौंपा गया है।	अधिकार की सीमा
कार्यालय खर्च			
1.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की देखभाल	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
2.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
3.	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता को सेवाओं के बाहरी स्रोत से सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान करना	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
4.	स्थानीय स्टेशनरी की छोटी-मोटी खरीद	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

1. मोटर वाहन

1.	मुर्म्मत, अतिरिक्त सामान और उपयोग करने योग्य साधनों के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	--	--	--

2.	पी.ओ.एल. के लिए	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	-----------------	---	--

2. सामग्री और आपूर्ति

1.	मत्स्य आहार, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य उपकरण	समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	---	---	--

3. रख-रखाव

1.	इस मद में मुरमम्त व रख-रखाव में हुए व्यय को शामिल किया गया है। जिसमें मजदूरी व सामग्री भी सम्मिलित है।	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
		समस्त उप-निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति

4. मशीनरी और उपकरण

1.	गैर उपभोगीय वस्तुएं जैसे फार्मों में प्रयोग होने वाले मछली जाल, अन्य संयंत्र व उपकरण	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शर्त बजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
----	--	--------------------------------	--

14

अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश:

- ❖ विभाग का मुखिया
- ❖ राज्य में अन्तर्देशीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी और शीत जल एक्वाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना
- ❖ मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना मछुआरों की सहायता करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और विकासशील योजनाओं की व्यवस्था करना और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना
- ❖ राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करना
- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखना
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना
- ❖ आर.टी.आई. के अन्तर्गत मत्स्य विभाग का पहला appellant अधिकारी।

उप-निदेशक मत्स्य:

- ❖ विभिन्न प्रकार की योजनाओं और स्कीमों को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना
- ❖ निदेशक मत्स्य के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- ❖ उनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मत्स्य स्कीमों के बजट पर नियन्त्रण
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा आहरण एवं वितरण अधिकारी स्टाफ उनके अधीन
- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी और प्रशासनिक नियन्त्रण और स्टाफ के कार्य पर उनका नियन्त्रण
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- ❖ सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त

सहायक निदेशक मत्स्य:

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी/प्रशासनिक नियन्त्रण तथा स्टाफ के कार्य का नियन्त्रण
- ❖ मत्स्य निदेशक के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- ❖ अपने अधीन विभिन्न प्रकार की मत्स्य योजनाओं का बजट पर नियन्त्रण
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा स्टाफ उनके अधीन
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- ❖ पन विद्युत परियोजनाओं का उनके क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना
- ❖ मछली पालकों को उच्च गुणवता की मछली बीज आपूर्ति करना और तकनिकी सहायता देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020 को लागू करना
- ❖ मछुआरों को लाईसेंस जारी करना
- ❖ आर.टी.आई. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त।

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी:

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना

- ❖ कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न Fish Farmers Development Agency तथा उपदान मसलों को क्रियान्वित करना
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना
- ❖ इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

मत्स्य अधिकारी:

- ❖ अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- ❖ मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना
- ❖ अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी तथा शीत जल एक्वाकल्चर का प्रबन्धन एवं विकास
- ❖ मत्स्य पालकों के विभिन्न एफ.एफ.डी.ए. तथा उपदान मसलों को क्रियान्वित करना
- ❖ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना
- ❖ इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतु लाईसेंस जारी करना
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनीकी सहायता मुहैया करना
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

उप-निरीक्षक मत्स्य:

- ❖ अवतरण केन्द्रों पर आने वाली मछली का विवरण रखना
- ❖ मत्स्य अधिनियम व नियमों को लागू करना
- ❖ मत्स्य अधिकारी तथा वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को मत्स्य फार्मों या हैचरी के प्रबन्धन में सहायता करना।

क्षेत्रीय सहायक/मत्स्यजीवि:

- ❖ नदीय व मात्स्यिकी का संरक्षण
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट व विक्रय को रोकना
- ❖ विभागीय एक्वाकल्चर योजनाओं का विस्तार कार्य करना
- ❖ मत्स्य फार्मों का रख-रखाव, जलापूर्ति, आहार, मछली की विक्री, टैंकों या रेसवे की सफाई अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य।

फार्म सहायक:

- ❖ मत्स्य पालन पर मत्स्य धन की देख-रेख
- ❖ मछली के आहार एवं प्रजनन में सहायता
- ❖ मछली बीज इत्यादि की पैकिंग
- ❖ फार्मों पर नियुक्त मत्स्यजीवियों अथवा क्षेत्रीय सहायकों के कार्यों का निरीक्षण।

विभागीय आहार संयन्त्र मकैनिक:

- ❖ विभागीय आहार संयन्त्र को चलाना जो ट्राऊट फीड उत्पादन हेतु प्रयोग की जाए
- ❖ आहार संयन्त्र की छोटी-मोटी मरम्मत।

पम्प ऑपरेटर/हैल्पर:

- ❖ फार्म की जलापूर्ति बनाये रखने के लिए पानी के पम्पों को सुचारु रूप से चलाना
- ❖ फार्म की मशीनरी को चलाने के लिए मकैनिक की सहायता करना।

अधीक्षक ग्रेड-1:

- ❖ प्रशासनिक शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यों का निरीक्षण
- ❖ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालक सहित कार्य नियुक्त करना तथा इनके कार्यों का निरीक्षण करना
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि सभी डीलिंग हैण्ड तथा डायरिस्ट सभी रजिस्ट्रों को बनाये रखें तथा समय में अपडेट करते रहें
- ❖ विभिन्न शाखाओं तथा उच्च अधिकारियों के बीच आने जाने वाली डाक व फाइलों पर नजर रखना
- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित करना
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्ट्रों को सम्भालकर रखा जाए।

अधीक्षक ग्रेड-II:

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित करना
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्ट्रों को सम्भालकर रखा जाए।

निजी सहायक:

- ❖ निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की बैठकों का विवरण रखना
- ❖ निदेशक के फोन कॉल को लेना
- ❖ निदेशक द्वारा दिया गया श्रुति लेखन
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा दिये गये अन्य कार्य प्रभार।

वरिष्ठ सहायक:

- ❖ नस्तियों को खोलना व कायम रखना, नस्तियों की नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा रिकॉर्डिंग देखना, अपनी सम्बन्धित शाखा के विभिन्न रजिस्ट्रों को बनाये रखना तथा उनका डाटा अपडेट करना
- ❖ भर्ती या पदोन्नति नियमों, सेवा पुस्तिका का रख-रखाव, लीव अकाउन्ट का सर्विस रिकॉर्ड तैयार करना, पैंशन कागजात तैयार करना, अनुशासनात्मक मामलों तथा निजी नस्तियों इत्यादि सहित स्थापना मामले

- ❖ तकनिकी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों की आय स्थायीकरण नियुक्ति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता सुनिश्चित करना तथा ए.सी.पी. के मामले, कोर्ट मामले तथा अन्य मिश्रित मामले।

सांख्यिकी सहायक:

- ❖ सांख्यिकी शाखा से सम्बन्धित सभी कार्य
- ❖ मत्स्य से सम्बन्धित सभी प्रतिवेदनों का युक्तिकरण
- ❖ विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

वरिष्ठ आशुलिपिक/आशुटकक:

- ❖ अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रुति लेखन व टंकण कार्य
- ❖ विभाग का अन्य टंकण कार्य
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कनिष्ठ सहायक:

- ❖ उन्हें सौंपा गया सभी टंकण कार्य
- ❖ सूचना/रिपोर्ट तैयार करने में तथा रजिस्ट्रों को रखने में वरिष्ठ सहायक की सहायता करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य

कार्यवाहक:

- ❖ कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में नस्तियों का लाना ले जाना
- ❖ अन्य स्थानीय कार्यालयों में सम्बन्धित पत्रों को पहुंचाना
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

(iii) निरीक्षण और जवाबदेही सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्यप्रणाली / प्रक्रिया :-

विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं राज्य सरकार के व्यय की वार्षिक सूची में प्रदान की जाती हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावों को सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। क्रियान्वित योजनाएं निम्नलिखित हैं।

❖ **एक्वाकल्चर योजना :-**

सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों, राज्य तथा जिला स्तरीय मेलों की प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं को प्रचारित किया जाता है। मत्स्य क्षेत्रीय सहायक मामलों को क्रियान्वित करने में सहायक होता है तथा उसके बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी /सहायक निदेशक मत्स्य भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने के बाद उस स्थान का निरीक्षण करता है। अनुमान पत्र जूनियर इंजीनियर के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वित्तीय सहायता काम की प्रगति और प्रावधान के अनुसार जारी की जाती है।

निर्माण कार्य विभाग / लोक निर्माण विभाग / ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर द्वारा अन्तिम रूप से जांचा जाता है और अन्तिम भुगतान काम के पूरा होने के पश्चात् अनुमान के अनुसार जारी किया जाता है।

जूनियर इंजीनियर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है, इसके साथ-साथ कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अवनति के लिए क्षेत्र के सहायक निदेशक मत्स्य / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

❖ **मछुआरा कल्याणकारी योजनाएं :-**

सभा तथा क्षेत्र के लैंडिंग केन्द्र के मत्स्य अधिकारी के सुझाव के बाद जलाशयों में मछुआरों की पहचान मछुआरा सहकारी समीति के स्तर पर की जाती है। आवेदन सुझावों के साथ सम्बन्धित जलाशय के सहायक निदेशक मत्स्य को प्रेषित किये जाते हैं।

❖ गिल नैट और कास्ट नैट इत्यादि के रेट / फर्म का अनुमोदन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करके निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद कमेटी द्वारा किया जाता है। आपूर्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के द्वारा मछुआरों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर्ता को दिया जाता है और सामग्री सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जांच करके प्राप्त की जाती है और तब इसको मत्स्य अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित मछुआरों को वितरित किया जाता है।

❖ इसी प्रकार योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

- ❖ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी हानि या चूक के लिए सभी सम्बन्धित जवाबदेह हैं।

(iv) अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड :-

विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार विभागीय कार्यों का निर्वहन किया जाता है :-

- ❖ निदेशालय विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के अन्तर्गत सभी नियन्त्रित अधिकारियों के लक्ष्य और बजट आंबटित करता है। उपलब्धि बजट उपयोगिता, मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, राजस्व और रोजगार वृद्धि लक्ष्य के सन्दर्भ में प्रगति की समीक्षा द्वारा आंकी जाती है।
- ❖ फार्म प्रभारी (मत्स्य अधिकारी/वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी) फार्म के लिए निर्धारित मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बीज जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य के मत्स्य उत्पादकों को बेचा जाता है। इन फार्म प्रभारियों के लिए भी मछली उत्पादन जैसे कार्य और साथ ही ट्राऊट उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- ❖ इसी प्रकार जलाशय के प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य को राज्य के मत्स्य उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन का लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- ❖ मछली उत्पादन के लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुखिया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साल के लिए निर्धारित इम्पलाईमेंट जनरेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।

(v) कार्यों के निर्वाहन के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करने अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने हेतु नियम, व्यवस्था, निर्देश, पुस्तकें अथवा रिकार्ड :

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विभागीय कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियम व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती हैं।

- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 2020

- ❖ सी.सी.एस. अवकाश नियम
- ❖ सी.सी.एस. और सी.सी.ए. नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. नियम और कोष नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. और एस.आर. नियम
- ❖ मैडिकल उपस्थिति नियम
- ❖ सामान्य वित्तीय नियम
- ❖ एच.बी. एडवांस नियम
- ❖ वित्तीय शक्तियों का आबंटन
- ❖ छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- ❖ बजट पुस्तिका
- ❖ कार्यालय पुस्तिका
- ❖ वाहन नियम
- ❖ पेंशन नियम
- ❖ जी.पी.एफ. नियम

(vi) विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रण के अन्तर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्य में उपयुक्त होने वाले दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों का उचित विवरण, जो इसके नियन्त्रण में हैं, निम्न प्रकार से है :-

खाता :

- ❖ मासिक लेखा
- ❖ व्यय विवरणी
- ❖ रोकड़ वही
- ❖ रसीद बुक
- ❖ चैक बुक
- ❖ बजट नस्ति
- ❖ सी.ए.जी की रिपोर्ट

❖ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

स्थापना :

- ❖ डाक प्राप्ति / प्रेषण रजिस्टर
- ❖ आकस्मिक छुट्टी लेखा रजिस्टर
- ❖ हाजरी पंजिका
- ❖ कर्मचारी सेवा पुस्तिका
- ❖ कर्मचारी विवरणी की सूची

विविध :

- ❖ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के अन्तर्गत वार्षिक बजट की पुस्तिका को निर्धारित करना
- ❖ विभाग में प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत मुख्य कार्यों की सूची बनाना
- ❖ विभाग में कार्यान्वयन के तहत मछुआरों और मत्स्यजीवियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम और नियम
- ❖ विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- ❖ नस्तियों के प्रधान रजिस्टर
- ❖ वाहनों की लॉग बुक
- ❖ डाक टिकट रजिस्टर
- ❖ विधानसभा और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नस्तियां
- ❖ विधान सभा समीति की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज, आदेशों की पुस्तिका, विशेष वर्णन, नियमावली निदेशालय के साथ / समस्त उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालयों में सहज ही उपलब्ध है।

(vii) विभागिय नीतियों अथवा उस पर कार्यान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरण:

विभाग की वेब साइट www.hpfisheries.nic.in सामान्य जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और विभाग द्वारा चलाई जा रही नीतियों दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के तहत सभी विधायकों के साथ “राज्य स्तर की योजना बैठक” प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभाग भी सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए जाते हैं, जिला स्तर 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति और सिकायत समिति का गठन भी सरकार के द्वारा किया गया है जिनमें जनता के प्रतिनिधियों की सदस्यता है और त्रैमासिक बैठकें जिला स्तर पर होती हैं।

(viii) दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जो परामर्श के उद्देश्य से विभाग के एक भाग के रूप में गठित हो सकते हैं इन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें समय के अनुसार सार्वजनिक जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के प्रारूप जनता के लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं अथवा नहीं :-

निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:-

शीर्ष समितियां :

- (a) जलाशय विकास समिति
- (b) जल-विद्युत परियोजना के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र समिति

निदेशालय स्तर की समितियां :

- (a) सामग्री खरीद समिति
- (b) विभागीय पदोन्नति समिति
- (c) जोखिम निधि समिति

जिला स्तर की समिति :

- (a) सामग्री खरीद समिति

उपरोक्त सभी समितियों की बैठकों के साथ-साथ उनके प्रारूप विभागीय पदोन्नति समिति के अलावा सार्वजनिक जनता के लिए प्राप्त हैं।

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणी :

कं.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	01	01	0
2.	उप-निदेशक मत्स्य	02	02	0
3.	सहायक अभियंता (सिविल)	01	0	01
4.	अधीक्षक ग्रेड-1	01	01	0
	जोड़	05	04	01
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	11	08	03
6.	अनुभाग अधिकारी(एस.ए.एस)	01	01	0
7.	अधीक्षक ग्रेड-II	04	04	0
8.	निजी सहायक	01	01	0
	जोड़	17	14	03
9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	02	02	0
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	07	07	0
11.	मत्स्य अधिकारी	33	20	13
12.	वरिष्ठ सहायक	09	09	0
13.	सांख्यिकी सहायक	02	02	0
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	01	0	01
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	17	15	02
16.	आशु टंकक	01	01	0
17.	जूनियर असिस्टेंट/लिपिक	21	18	03
18.	कार्यालय कनिष्ठ सहायक (आई0 टी0)	18	02	16
19.	फार्म सहायक	15	15	0
20.	चालक	09	05	04
21.	मोटर बोट चालक	04	04	0
22.	मकैनिक (ऑटो)	01	01	0

23.	सेल मैन/लिपिक	01	0	01
24.	फीड मील मकैनिक	01	01	0
25.	पम्प ऑपरेटर	01	01	0
	जोड़	143	103	40
26.	क्षेत्रीय सहायक	140	86	54
27.	मत्स्यजीवी	52	43	09
28.	फिल्डमैन (Fieldman)	03	0	03
29.	कार्यवाहक	22	22	0
30.	चौकीदार	14	13	01
31.	चौकीदार-एवं-सफाई कर्मचारी	01	0	01
32.	क्लीनर	01	0	01
33.	स्वीपर	01	0	01
	जोड़	234	164	70
	अंतिम जोड़	399	285	114

(x) मौजूदा नियमों के अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त वेतन :-

कं.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	01.01.1996 के अनुसार वेतनमान	01.01.2006 के अनुसार वेतनमान	वेतन बन्धन
श्रेणी-I				
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	14300-18600	37400-67000	8700
2.	उप-निदेशक मत्स्य	7880-11660	10300-34800	5400
3.	सहायक अभियंता(सिविल)	7880-11660	10300-34800	5400
4.	अधीक्षक ग्रेड-1	7220-11660	15600-39100	5400
श्रेणी-II				
5.	अनुभाग अधिकारी (एस.ए. एस)	7000-10980	10300-34800	5000
6.	सहायक निदेशक मत्स्य	7000-10980	10300-34800	4400

7.	अधीक्षक ग्रेड-II	6400-10640	10300-34800	4800
8.	निजी सहायक	6400-10640	10300-34800	4800
श्रेणी-III				
9.	वरिष्ठ सहायक	5800-9200	10300-34800	4400
10.	वरिष्ठ आशु लिपिक	5800-9200	10300-34800	4400
11.	जूनियर अभियंता (सिविल)	5800-9200	10300-34800	3800
12.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	5800-9200	10300-34800	3800
13.	सांख्यिकी सहायक	5480-8925	10300-34800	3800
14.	मत्स्य अधिकारी	5480-8925	10300-34800	3600
15.	उप-निरीक्षक मत्स्य	4020-6200	5910-20200	2400
16.	आशु टंकक	3330-6200	5910-20200	2000
17.	जूनियर असिस्टेंट	4400-7000	5910-20200	3600
18.	चालक	3330-6200	5910-20200	2400
19.	जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आई0टी0)	-	5910-20200	1950
20.	लिपिक	3120-5160	5910-20200	1900
21.	फार्म सहायक	3120-5160	5910-20200	1900
22.	मोटर बोट चालक	3120-5160	5910-20200	1900
23.	मकैनिक (ऑटो)	3120-5160	5910-20200	1900
24.	सैल्समैन-कम-लिपिक	3120-5160	5910-20200	1900
25.	फीड मील मकैनिक	3120-5160	5910-20200	1900
26.	पम्प ऑपरेटर	3120-5160	5910-20200	1900
श्रेणी-IV				
27.	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	2820-4400	4900-10680	1650
28.	मत्स्यजीवी	2720-4260	4900-10680	1400
29.	फिल्डमैन	2720-4260	4900-10680	1400

30.	क्लीनर	2620-4140	4900-10680	1300
31.	कार्यवाहक	2620-4140	4900-10680	1300
32.	चौकीदार	2620-4140	4900-10680	1300
33.	चौकीदार-कम-स्वीपर	2620-4140	4900-10680	1300
34.	स्वीपर	2620-4140	4900-10680	1300

(xi) अपनी प्रत्येक शाखा को निर्धारित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को प्रकाशित करना, प्रस्तावित व्यय और भुगतान पर रिपोर्ट भेजना:

वर्ष 2019-20 में अपने प्रत्येक कार्यालय को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं (Plan Schemes) का लेखाशीर्ष वार विवरण :

1. उप-निदेशक मत्स्य (मु0), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2020 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	320.00	320.00
2.	2405-00-101-02(सून)(कार्प बीज उत्पादन)	1262.00	1262.00
3.	2405-00-101-03(सून)	315.00	315.00
4.	2405-00-101-04(सून)	150.00	150.00
5.	2405-00-109-02(सून)	120.00	120.00
6.	2405-00-101-07(कून)	1615.00	1615.00
7.	2405-00-800-01(सून)	212.00	212.00
8.	2405-00-101-07 (एस90एन)	86205.00	86205.00
9.	2415-00-796-06(सून)	400.00	400.00
10.	2405-00-101-07(एस20एन)	1.00	1.00
11.	2405-00-800-03(एस50एन)	750.00	750.00
12.	2059-01-053-07 (सून)	658.00	658.00
13.	2405-00-101-06 (सी90एन)	6110.00	6110.00
14.	2405-00-101-06 (एस10एन)	623.00	623.00
15.	2405-00-101-07 (एस10एन)	9688.00	9688.00

16.	2405-00-101-07 (सी53एन)	3374.00	3374.00
17.	2405-00-101-07 (एस13एन)	1055.00	1055.00
18.	4405-00-101-05(सी90एन)	2700.00	2700.00
19.	4405-00-101-05(एस10एन)	300.00	300.00
20.	4405-00-101-06(सी80एन)	13911.00	13911.00
21.	4405-00-101-06(एस20एन)	3478.00	3478.00
22.	2405-00-789-07 (एस20एन)	14.00	14.00
23.	2405-00-789-08 (एस50एन)	264.00	264.00
24.	2405-00-789-03 (सी90एन)	2768.00	2768.00
25.	2405-00-789-03 (एस10एन)	3070.00	3070.00
26.	2405-00-789-07 (सी90एन)	22853.00	22853.00
27.	2405-00-789-07 (एस10एन)	2628.00	2628.00
28.	2405-00-789-07 (सी53एन)	2382.00	2382.00
29.	2405-00-789-07 (एस13एन)	745.00	745.00
30.	2405-00-796-07 (एस20एन)	1131.00	1131.00
31.	2405-00-796-08 (एस50एन)	44.00	44.00
32.	2405-00-796 (एस10एन)	940.00	940.00
33.	2405-00-796 (सी90एन)	1989.00	1989.00
34.	2405-00-796-07 (एस10एन)	221.00	221.00
35.	2405-00-796-07 (सी53एन)	179.00	179.00
36.	2405-00-796-07 (एस13एन)	56.00	56.00
	कुल जोड़ :	170531.00	172531.00

2. उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल (कुल्लू)

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट(हजारों में)	व्यय 31.03. 2020 तक
1.	2509-01-053-07(सून)	1305.00	1305.00
2.	2405-00-101-02(सून)	23.00	23.00
3.	2405-00-101-04(सून)	46.00	46.00
4.	2405-00-101-03(सून)	57.00	57.00

5.	4405-00-101-03(सून)	15350.00	15350.00
6.	2405-00-789-02	37.00	37.00
	कुल जोड़ :	16818.00	16818.00

1. सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2020 तक
1.	2509-01-053-07(सून)	379.00	379.00
2.	2405-00-001-01(सून)	50.00	50.00
3.	2405-00-101-02(सून) (कार्प बीज उत्पादन)	1398.00	1397.00
4.	2405-00-101-03(सून) ट्राऊट बीज फार्म	284.00	242.00
5.	2405-00-101-04(सून)	160.00	150.00
6.	4405-00-101-02(सून)	300.00	300.00
7.	2405-00-789-02(सून)	240.00	240.00
8.	2405-00-796-02(सून)(ख,ग,घ)	100.00	96.00
9.	2405-00-796-03(ऊस)	153.00	0.00
10.	2405-00-796-04(ऊस)	540.00	540.00
11.	2405-00-796-05(ऊस)	26.00	26.00
12.	4405-00-796-01(सून)	1478.00	1478.00
	कुल जोड़ :	5108.00	4898.00

2. सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल, बिलासपुर

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2020 तक
1.	2509-01-053-07(सून)	1469.00	1469.00
2.	2405-00-001-01(सून)	110.00	110.00
3.	2405-00-101-02(सून) (कार्प बीज उत्पादन)	5998.00	5998.00
4.	2405-00-101-03(सून)	15.00	15.00
5.	2405-00-101-04(सून)	290.00	290.00
6.	4405-00-101-02(सून)	5959.00	5959.00
7.	2405-00-789-02(सून)	350.00	350.00
8.	2405-00-796-05(ऊस)	26.00	26.00
	कुल जोड़ :	14217.00	14217.00

3. सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम जिला कांगड़ा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2020 तक
1.	2405-00-001-01 (सून)	100.00	100.00
2.	2405-00-101-02 (सून)	4016.00	4016.00
3.	2405-00-789-02 (सून)	175.00	175.00
4.	2405-00-796-05 (ऊस)	26.00	26.00
5.	4405-00-101-02 (सून)	1400.00	1400.00
6.	4405-00-789-02 (सून)	9648.00	9648.00
	कुल जोड़ :	15365.00	15365.00

4. सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर जिला कांगड़ा

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2020 तक
1.	2059-01-053-07 (सून)	1525.00	1525.00
2.	2405-00-001-01 (सून)	130.00	130.00
3.	2405-00-101-02 (सून) (कार्प बीज उत्पादन)	277.00	277.00
4.	2405-00-101-03 (सून)	100.00	100.00
5.	2405-00-101-04 (सून)	206.00	206.00
6.	2405-00-789-02 (सून)	54.00	54.00
7.	2405-00-796-05 (ऊस)	51.00	51.00
	कुल जोड़ :	2343.00	2343.00

5. सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन (जिला सिरमौर)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2020 तक
1.	2059-01-053-07 (सून)	598.00	598.00
2.	2405-00-001-01 (सून)	150.00	150.00
3.	2405-00-101-02 (सून)	219.00	219.00
4.	2405-00-101-03 (सून)	10.00	10.00
5.	2405-00-101-04 (सून)	80.00	80.00
6.	2405-00-789-02 (सून)	100.00	100.00
7.	2405-00-796-05 (ऊस)	26.00	26.00
8.	4405-00-789-02	1474.00	1474.00
	कुल जोड़ :	2657.00	2657.00

6. सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2020 तक
1.	2405-00-001-01 (सून)	220.00	220.00
2.	2405-00-101-02 (सून)	50.00	50.00
3.	2405-00-101-03 (सून) ट्राऊट बीजफार्म	258.00	258.00
4.	2405-00-789-02 (सून)	52.00	52.00
5.	2405-00-796-02 (सून) (क, ख, ग, घ)	275.00	275.00
6.	2405-00-796-04 (ऊस)	540.00	540.00
7.	4405-101-03 (सून)	300.00	300.00
	कुल जोड़ :	1695.00	1695.00

7. सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2020 तक
1.	2405-00-001-01 (सून)	100.00	100.00
2.	2405-00-101-02 (सून) (मछली बीज उत्पादन)	198.00	198.00
3.	2405-00-101-03 (सून) ट्राऊट बीजफार्म	130.00	130.00
4.	2405-00-101-04 (सून)	480.00	480.00
5.	2405-00-789-02 (सून)	159.00	159.00
6.	2405-00-796-05 (ऊस)	26.00	26.00
7.	4405-00-101-03 (सून)	2000.00	2000.00
	कुल जोड़ :	3093.00	3093.00

8. सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2020 तक
1.	2405-00-001-01 (सून)	120.00	120.00
2.	2405-00-101-02 (सून)	821.00	821.00
3.	2405-00-101-03 (सून)	8.00	8.00
4.	2405-00-101-04 (सून)	318.00	318.00
5.	2405-00-789-02 (सून)	125.00	125.00
6.	2405-00-796-05 (ऊस)	26.00	26.00
7.	4405-00-101-04 (सून)	3000.00	3000.00
	कुल जोड़ :	4418.00	4418.00

9. सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2020 तक
1.	2059-01-053-07 (सून)	371.00	371.00
2.	2405-00-001-01 (सून)	200.00	200.00
3.	2405-00-101-02 (सून)	205.00	205.00
4.	2405-00-101-04 (सून)	140.00	140.00
5.	2405-00-789-02 (सून)	34.00	34.00
6.	2405-00-796-05 (ऊस)	26.00	26.00
7.	4405-00-101-04 (सून)	800.00	800.00
	कुल जोड़ :	1776.00	1776.00

10. सहायक निदेशक मत्स्य, हमीरपुर

कं.सं.	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2020 तक
1.	2405-00-001-01-(सून)	30.00	30.00
2.	2405-00-796-05 (ऊस)	26.00	26.00
3.	2405-00-789-02 (सून)	30.00	30.00
	कुल जोड़ :	86.00	86.00

(xii) आबंटित राशि सहित अनुदान कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :-

आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थियों का चयन उप-निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य / मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण मामला सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / उप-निदेशक मत्स्य को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। आर्थिक सहायता सुविधा का विस्तार नियमों के अन्तर्गत सीमाओं के भीतर रहकर निर्धारित किया जाता है।

(xiii) विभाग द्वारा छूट, स्वीकृतियां अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण :-

विभाग द्वारा कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती।

(xiv) इलैक्ट्रॉनिक रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में विवरण :-

❖ विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी विभागीय वैब साइट <http://hpfisheries.nic.in> पर ली जा सकती है।

❖ विभाग की वैबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(xv) एक पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम के कार्य सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैब साइट <http://hpfisheries.nic.in> में देखी जा सकती है। कोई भी नागरिक इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जनता के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(xvi) नाम, पद और अन्य जन सूचना अधिकारियों का विवरण :-

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश

राज्य स्तरीय

अपील सम्बन्धी अधिकारी	पद और कार्यालय पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	दूरभाष/फैक्स नम्बर
पहला अपील अधिकारी	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य निदेशालय मत्स्य पालन, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	fisheries-hp@nic.in	01978-224068 (कार्यालय) 223390 (घर) मोबाईल-94180-07615

राज्य स्तरीय

पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नम्बर

पी.आई.ओ.	उप-निदेशक मत्स्य (मु0) निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश-174001	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	ddf fisheries-bil-hp-@nic.in	01978-223212 (कार्यालय)
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(मु0)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	Adfisheries-bpl-hp@nic.in	01978-223212 (कार्यालय)
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(20 सूत्रीय)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978-223212 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	अधीक्षक ग्रेड-I निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	devsainnegi9951@gmail.com	01978-223212 (कार्यालय)

जिला स्तर

क्र.सं.	पद और कार्यालय का पता	अधीन (क्षेत्र/विषय)	ई-मेल का पता	कार्यालय दूरभाष नम्बर
जिला बिलासपुर				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर	जिला बिलासपुर	Adfisheries1-bil-hp@gov.in	01978-222568 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी दियोली (घाघस)	मत्स्य फार्म दियोली (घाघस)
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी लठियानी, जिला ऊना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, लठियानी
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, भाखड़ा
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी संरक्षण, बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बिलासपुर

ए.पी. आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, मान्दली	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, मान्दली
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, जगातखाना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, जगातखाना
जिला मण्डी				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल मण्डी	जिला मण्डी	adf-mandi- hp@nic.in	01905- 235141 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	कार्प मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी
जिला कुल्लू				
पी.आई. ओ.	उप-निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	जिला कुल्लू	ddfiseries-kul- hp@nic.in	01902- 240163 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल, जिला कुल्लू	इण्डो ट्राऊट फार्मिंग प्रोजैक्ट पतलीकुहल	...	01902- 240163 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू
ए.पी. आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, लारजी, जिला कुल्लू	लारजी, जिला कुल्लू

पौंगडैम				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा	Adfisheries-pong-hp@nic.in	01893-201282 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमेटा, कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, धमेटा
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, देहरा, कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, देहरा
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ज्वाली, कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, ज्वाली
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नगरोटा सूरियां
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, बरनाली, कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बरनाली
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, नन्दपुर, कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नन्दपुर
जिला चम्बा				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	Adfisheries-cha-hp@nic.in	01899-223801 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म, होली, जिला चम्बा	ट्राऊट फार्म, होली,
हमीरपुर और कांगड़ा (पौंगडैम सहित)				

पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा (पौंग जलाशय सहित) और हमीरपुर	Adfisheries-pal-hp@nic.in	01894-231872 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	वरिष्ठ अधिकारी, हमीरपुर	जिला हमीरपुर
ए.पी.आई.ओ.	वरिष्ठ अधिकारी, पालमपुर	जिला पालमपुर
ए.पी.आई.ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, कांगड़ा	मत्स्य फार्म, कांगड़ा
जिला किन्नौर और शिमला				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला-5	जिला शिमला और किन्नौर	adfsh-sml-hp@nic.in	0177-2830171 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	वरिष्ठ अधिकारी, शिमला	जिला शिमला
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमबाड़ी	ट्राऊट फार्म, धमबाड़ी
ए.पी.आई.ओ.	मत्स्य अधिकारी, सांगला	ट्राऊट फार्म, सांगला
जिला सिरमौर और सोलन				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, स्थित शामती, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश	जिला सोलन और सिरमौर	Adfisheries-sol-hp@nic.in	01792-229454 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सोलन	जिला सोलन		01792-229454 (कार्यालय)

पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, जिला सिरमौर	जिला सिरमौर	adf-sir- hp@nic.in	01702- 224985 (कार्यालय)
ए.पी. आई.ओ.	लिपिक, कार्यालय, सहायक निदेशक मत्स्य सिरमौर	जिला सिरमौर		
जिला ऊना				
पी.आई. ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हिमाचल प्रदेश	जिला ऊना	Adfisheries- una-hp@nic.in	01975- 227792 (कार्यालय)
ए.पी. आई. ओ.	जूनियर असिस्टेंट, सहायक निदेशक मत्स्य ऊना	जिला ऊना	---	01975- 227792 (कार्यालय)
ए.पी. आई. ओ.	उप-निरीक्षक मत्स्य, सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना	जिला ऊना	...	01975- 227792 (कार्यालय)

वर्ष 2019-20 में सेवा निवृत्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी 2019-20 की सेवा निवृत्तियां (अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक)

कं.सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति वर्ष 2019-20
1.	श्री जगत पाल	सहायक निदेशक मत्स्य	31/01/2020
2.	श्री कर्म चन्द	उप-निरीक्षक मत्स्य	31/01/2020
3.	श्री दीप राम	उप-निरीक्षक मत्स्य	30/04/2019

4.	श्री राजेश कुमार	फार्म सहायक	31/08/2019
5.	श्री बुई दास	चालक	31/05/2019
6.	श्री गोकुल कुमार	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/12/2019
7.	श्री सुभाष चन्द	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/03/2020
8.	श्री काहन सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/03/2020
9.	श्री धर्म सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/07/2019
10.	श्री मस्त राम	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/08/2019
11.	श्री गोपाल सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/03/2020
12.	श्री राम गोपाल	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31/03/2020

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



hpfisheries.nic.in



fisheries-hp@nic.in



**Matsya Bhawan, Changer Sector
Bilaspur HP-174 001**